

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/सरिश्ता/5-04(253)2022

दिनांक : 01 फरवरी, 2024

निमित्त,

तहसीलदार,
राशमी

विषय :- सरकार बनाम राजेश पिता रोशन ढोली निवासी
कारास में जुर्माना अधिरोपित के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त अनवान से संबंधित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 84-86 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सरकार बनाम राजेश पिता रोशन ढोली निवासी कारास में न्यायालय आदेश दिनांक 01.02.2024 के तहत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 86 क (1) के तहत प्रति पेड अधिकतम जुर्माना 100/-रूपये प्रति पेड से कुल 3100 /- रूपये जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

अतः आपको आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी से 3100/- रूपये नियमानुसार वसूल कर राजकोष मे जमा करवाते हुए पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।



(गोविन्द सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
राशमी

